



2026:AHC:65545

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या- 9682 वर्ष 2026

राकेश कुशवाहा आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मानवेंद्र नारायण पाठक, राम कृष्ण परमहंस सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: दिव्यांश राय, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 67

माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री मानवेंद्र नारायण पाठक, प्रथम सूचनाकर्ता के अधिवक्ता श्री दिव्यांश राय और राज्य के अपर शासकीय अधिवक्ता श्री आनंद प्रताप सिंह को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।
2. मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 103(1), 61(2)(ए) बी.एन.एस., थाना-बांकाटा, जिला-देवरिया के तहत केस अपराध संख्या-214 वर्ष 2024 में आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत ज़मानत आवेदन दायर किया गया है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क यह है कि आवेदक का नाम न तो प्राथमिकी में था और न ही पहले सूचनाकर्ता के बयान में, और यह कि पहले सूचनाकर्ता के बयान में दिया गया संस्करण प्राथमिकी में उल्लिखित संस्करण से पूरी तरह से अलग है। आगे यह यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि उसने संबंधित घटना से पहले रेकी की थी, और उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि सह-आरोपी दीपक मद्देशिया उर्फ तमाटर और अंकित गौड़ और सुनील चौहान को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-25705 वर्ष 2025, 1402 वर्ष 2026 और 27983 वर्ष 2025 दिनांक 09.09.2025, 23.03.2026 और 13.10.2025 के आदेशों के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



माध्यम से ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है। इसलिए, आवेदक भी समानता के आधार पर ज़मानत पर रिहा होने का हकदार है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक ने साथ के हलफनामे में तीन मामलों के आपराधिक इतिहास के बारे में बताया है। आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 17.11.2024 से जेल में बंद है। यदि उसे ज़मानत दी जाती है, तो वह ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. तत्स्य विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता और अपर शासकीय अधिवक्ता के अधिवक्ता ने ज़मानत के लिए प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों पर विवाद नहीं कर सके।

5. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षों के अधिवक्ता की प्रस्तुतियाँ और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की मिलीभगत को ध्यान में रखते हुए और अवर न्यायालयों के समक्ष भीड़भाड़ वाली जेलों और आपराधिक मामलों के भारी लंबित मामलों को ध्यान में रखते हुए साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के जनादेश पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक ज़मानत पर रिहा किये जाने का हकदार है।

6. उपरोक्त अपराध में शामिल आवेदक - राकेश कुशवाहा को निम्नलिखित शर्तों के साथ संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और समान राशि में दो-दो ज़मानतदार प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए: -

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने से रोका जा सके।



ii. आवेदक किसी भी स्थगन की मांग किए बिना ईमानदारी से परीक्षण/जांच में सहयोग करेगा।

iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी भी अपराध में शामिल नहीं होगा।

iv. आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होगा।

7. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

8. बांड स्वीकार करने से पहले आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण को संबंधित न्यायालय द्वारा सत्यापित किया जाना चाहिए।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर जारी किया जाएगा, जो उच्च न्यायालय इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई है और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल की जाएगी।

10. यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह, इन रे: स्वतः संज्ञान रिट याचिका (क्रिल०) संख्या-4 वर्ष 2021 31.01.2023 को तय की गई (2024)10 एस.सी.सी. 685 जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति के मामले में शीर्ष न्यायालय के आदेश के अनुपालन में संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

मार्च 30, 2026

एस.सी.

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)